Reg N.;20(Hq.)/87-Dated ; 15.09.87 Tel. 7325058829

कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड),राँची।

चतुर्थ तल, पशुपालन–सह–सहकारिता भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003

GSTIN. : -20AAAJT2257J1Z8 E-mail : - vegfed.ranchi@gmail.com

पत्रांक 518/वेजफेड, राँची दिनांक 20.10.2023

इच्छा की अभिव्यक्ति का पुनर्आमंत्रण

विभागीय योजना 2022–23 अन्तर्गत वेजफेड के द्वारा राज्य के विभिन्न स्थलों पर 06 इकाई 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग का अधिष्ठापन किया जाना है।

उक्त इकाई के अधिष्ठापन व संचालन हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियों से इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य समितियाँ वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्राप्त कर उक्त विषय से संबंधित आवेदन/प्रस्ताव एवं प्रपत्र दिनांक **02.11.2023** के अपराह्न 4:00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–

प्रबंध निदेशक

वेजफेड, राँची।

05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग के संचालन हेतु विहित प्रपत्र

प्रबंध निदेशक, वेजफेड के नाम से प्रस्ताव समर्पित किए जाएंगे। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरणी, जो नियम व शर्तों से संबंधित है वर्णित विहित प्रपत्र I-V में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर तथा प्रपत्र– III (शपथ पत्र) को अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक से सम्पन्न कराकर संलग्न करना होगा। प्रपत्र–V में वित्तीय प्रस्ताव में मासिक संचालन राशि तथा आवेदित 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग का स्थल व नाम का उल्लेख करना होगा, जो सील बंद लिफाफे में समर्पित करना होगा।

ह0 / –

प्रबंध निदेशक,
वेजफेड, राँची।

प्रपत्र–I

05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग हेतु आवेदन प्रपत्र (2022–23)

<table>
<tr><td>1</td><td>समिति का नाम एवं कार्यालय का पूर्ण पता</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>निबंधन संख्या एवं वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>समिति का अध्यक्ष/सचिव का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>दूरभाष सं0</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ईमेल आई0डी0 (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>वेजफेड से सम्बद्धता संबंधी प्रमाण</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>समिति में सदस्यों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रदत्त हिस्सा पूँजी</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>पैन नं0 (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>समिति का प्रस्ताव</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>अंकेक्षण प्रतिवेदन (संलग्न)</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>लाभ–हानि की स्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>कार्यशील पूँजी</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>शपथ पत्र (Notarized)</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>समिति द्वारा गत् 02 (दो) वर्षों में किए गए बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण (बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>05 MT सोलर कोल्ड रूम स्थापित करने हेतु भूमि का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)</td><td><table><tr><td>खाता संख्या</td><td>प्लॉट संख्या</td><td>रकबा</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>18</td><td>भूमि हस्तांतरण का प्रकार (लीज, डीड, दान इत्यादि)</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>समिति के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन वाले कृषि उत्पाद का नाम एवं मात्रा</td><td><table><tr><td>ग्राम/पंचायत/प्रखण्ड</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कृषि उत्पाद का नाम</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उत्पादन की मात्रा (क्विं0 में)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>20</td><td>मो0 500/– रूपए का डी0डी0 संख्या/नकद जमा से संबंधित प्राप्ति रसीद</td><td></td></tr>
</table>

समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>प्रपत्र–II</u>

<u>समिति का प्राधिकार–पत्र</u>

मैं .... (अध्यक्ष / सचिव का नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं .... (समिति का नाम), जो झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 / झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित है, का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा इस इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन समर्पित करने वाले व्यक्ति .... (नाम) को अपनी समिति की ओर से विधिवत् प्राधिकृत करता हूँ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर :–

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

समिति के अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर एवं
समिति का मोहर

प्रपत्र–III

(Notarized)

शपथ–पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री .... ग्राम ...., पो0..................., थाना ...., जिला ...., स्वेच्छापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे .... समिति की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है (समिति के कार्यकारिणी प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह .... समिति/संस्था या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस समिति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है। हमारी समिति को पूर्व में वेजफेड की ओर से कोई प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारी समिति के पास 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग हेतु 600 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है एवं हमारी समिति योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि लगाने में सक्षम है। वेजफेड द्वारा 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग के संचालन हेतु निर्धारित किए गए सभी नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करूँगा।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है। यदि कोई तथ्य असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नाम व पदनाम :– ....

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–IV

05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग स्थापित करने हेतु भूमि का विवरण

समिति का नाम व पता :– ....

पूर्ण पता :– ....

क्रं.	ग्राम	ग्राम पंचायत	थाना	मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ / डिसमिल में)	भूमि का किस्म / प्रकार
1	3	4	5	6	7	8	9	10

समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रपत्र–V

वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid)

1	समिति का नाम व पूर्ण पता	:–	
2	आवेदित 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग का स्थल / नाम	:–	
3	मासिक संचालन राशि	:–	

समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

वेजफेड, राँची।

विभागीय योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक एवं योग्य सहकारी समितियों के चयन हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है :–

1. वेजफेड द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में भाग लेने हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियों द्वारा विहित प्रपत्र वेजफेड के नाम से मो0 500/– रूपए नगद/डी0डी0 जमा कर इच्छुक एवं योग्य समितियाँ वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्राप्त किया जा सकता है।
2. 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 02.11.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक वेजफेड कार्यालय में कार्यावधि में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् समर्पित प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
3. बकाएदार/डिफॉल्टर समितियों का चयन नहीं किया जाएगा।
4. जिन समितियों को पूर्व में वेजफेड से किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण इकाई दिया गया है, वे 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग हेतु प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे। एक समिति से केवल एक ही प्रसंस्करण इकाई से संबंधित आवेदन प्रस्ताव स्वीकार किए जाएँगे।
5. निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड में अर्जित अंकों के आधार पर वेजफेड के व्यवसाय उप समिति–सह–निविदा समिति द्वारा संचालन हेतु समितियों का चयन किया जाएगा। योग्यता एवं मापदण्ड का निर्धारण मार्किंग स्केल के आधार पर किया जाएगा।
6. वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ ही भाग ले सकते हैं।
7. इच्छुक सहकारी समितियों द्वारा विहित प्रपत्र (I-V) में सभी सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. समिति को कम–से–कम विगत दो वर्ष का बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
9. आवेदक समिति के पास यदि PAN एवं जी0 एस0 टी0 निबंधन से संबंधित प्रमाण उपलब्ध हो तो, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
10. वेजफेड द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन चयनित सहकारी समितियों के साथ अलग से एकरारनामा किया जाएगा।
11. चूँकि 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग योजना में कार्यशील पूँजी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए उक्त इकाई के संचालन हेतु संबंधित समिति को स्वयं मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी होगी।
12. 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग इकाई संचालन हेतु वैसी सहकारी समितियों का चयन किया जाएगा, जो योजना लागत का 10 प्रतिशत राशि अर्थात् मो0 2,37,500.00 (दो लाख

सैतीस हजार पाँच सौ) रूपए लगाने में सक्षम हो। इसकी पुष्टि समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित टर्न ओवर के आधार पर की जाएगी एवं समिति द्वारा उक्त राशि लगाने संबंधी Notarized शपथ पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

13. एकरारनामा के समय योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि (मो0 2,37,500.00 (दो लाख सैतीस हजार पाँच सौ रूपए) डी0डी0/चेक के माध्यम से वेजफेड कार्यालय में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
14. यदि समिति के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया जाता है और 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग अच्छी तरह संचालित नहीं हो पाती है तो समिति के अध्यक्ष/सचिव के विरूद्ध सरकारी राशि के दुरूपयोग करने के आरोप में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।
15. समिति के नाम से न्यूनतम 600 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध होना अथवा दान/लीज (न्यूनतम पाँच वर्षों के लिए)/निबंधित कराना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव के साथ उक्त जमीन से संबंधित कागजात यथा– जमीन का डीड, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन रसीद की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
16. **05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग के संचालन की बेस प्राईस मो0 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपए प्रति माह होगा। निविदा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सफल आवेदक (अधिकतम संचालन राशि) के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर एकरारनामा किया जाएगा।**
17. जिन समितियों को 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें एकरारनामा के समय एक वर्ष का संचालन राशि से संबंधित डी0डी0/चेक वेजफेड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ससमय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत सूद सहित राशि वसूलनीय होगी।
18. 05 एम.टी. सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग प्राप्त करने वाले समितियों द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन वेजफेड में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
19. समिति के निर्माण/अधिष्ठापित कराए गए उक्त प्रसंस्करण इकाई पर समिति के नाम के ऊपर ''कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार योजनान्तर्गत वेजफेड, राँची के द्वारा वित्तपोषित'' लिखना आवश्यक होगा और इसपर होने वाले व्यय का वहन समिति द्वारा किया जाएगा।
20. वेजफेड को समिति के सभी व्यवसायिक अभिलेख, सभा बही, रोकड़ बही इत्यादि का निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. समय–समय पर वेजफेड को यथा–आवश्यक नियम एवं शर्तें लागू करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

प्रबंध निदेशक
वेजफेड, राँची।